मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.आर.17/07/97/ब-9/चार   भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 98

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.1.96 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी-27-2-सी-चार-98 दिनांक 9.3.98 द्वारा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप दिनांक 1.1.96 से पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरें निम्नानुसार संशोधित की जावें:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.1.96 से	महंगाई भत्ता देय नहीं है
दिनांक 1.7.96 से	मूल वेतन का 4 प्रतिशत
दिनांक 1.1.97 से	मूल वेतन का 8 प्रतिशत
दिनांक 1.7.97 से	मूल वेतन का 13 प्रतिशत

2. इन आदेशों के अंतर्गत उक्त दरों के अनुसार देय महंगाई भत्ते का भुगतान वित्त विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.आर. 17-03/96/चार/ब-9, दिनांक 23.4.96, एफ.आर. 17-[illegible]/चार/ब-9, दिनांक 4.10.96, एफ.आर. 17-01/97/चार/ब-9, दिनांक 1.5.97 एवं एफ.आर. 17-07/97/चार/ब-9, दिनांक [illegible] आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का समायोजन करने के उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

3. दिनांक 1.1.96 से 31.12.97 तक के अन्तर की बकाया राशि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण 1993 के नियम 11 के अनुसार एक पृथक खाते में जमा की जावेगी।

4. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे के कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

5. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रुप में नहीं माना जावेगा।

6. महंगाई भत्ते की गणना के लिए 'वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।

7. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त महंगाई भत्ते को गणना हेतु 'वेतन' के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो, तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर. 17-03/96/चार/ब-9, दिनांक 23.4.96, अनुसार स्वीकृत किया गया है) एवं अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किस्त (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. 8/1/93/नि-2/चार दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।

2

8. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितिकरण, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक जुलाई 1957 एवं संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

9. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा की सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीयों को लागू नहीं होंगे।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय, संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय पाल सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 1998

पृष्ठांकन क्रमांक एफ.आर.17/07/97/ब-9/चार
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल ।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल ।
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/16, तुलसी नगर, भोपाल।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल।
12. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय हाल न्यू मार्केट टी.टी. नगर, भोपाल।
13. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय 6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल ।
14. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल ।
16. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/35तुलसी नगर, भोपाल ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, मध्यप्रदेश ।
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
21. अध्यक्ष मध्यप्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ वल्लभ भवन भोपाल

24/4/98
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

शाकेमुभो—122—असविवि—25-4-98—2,000.

3

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.आर.17/06/98/ब-9/चार **भोपाल, दिनांक 22 मई 98**

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.1.98 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.**आर.17/07/97/ब-9/चार दिनांक 24 अप्रैल** 1998 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे:

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.1.98 से	16 प्रतिशत

2. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि-

इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1-1-98 से 30.4.98 तक बढ़े हुए **महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियों के** सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की जावेगी एवं माह मई 98 से महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी।

3. **महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान** में 50 पैसे अथवा **उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें** अगले **उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे के कम राशि को** छोड़ दिया जावेगा।

4. **महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन** हेतु वेतन के रूप में नहीं **माना जावेगा।**

5. **महंगाई भत्ते की गणना के लिए 'वेतन'** से तात्पर्य उनके पुनरीक्षित वेतनमान **1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।**

6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के [illegible] में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। इन कर्मचारियों के [illegible] महंगाई भत्ते की गणना हेतु 'वेतन' के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो), [illegible] सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर. 17-03/96/चार/ब-9, दिनांक [illegible].96 अनुसार स्वीकृत किया गया है) एवं अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किस्त (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. [illegible]/चार दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।

7. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

8. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होगा।

9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय, संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय पाल सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ.आर.17/06/98/ब-9/चार

भोपाल, दिनांक 2

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल ।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल ।
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/16, तुलसी नगर, भोपाल।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल।
12. अध्यक्ष मध्यप्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ वल्लभ भवन भोपालल
13. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय 6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल ।
14. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल ।
16. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85तुलसी नगर, भोपाल ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, मध्यप्रदेश ।
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

22/5/98

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

शाकेमुभो—329—असविवि—22-5-98—1500.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
-मंत्रालय-

क्रमांक एफ.आर. 17/06/98/ब-९/चार   भोपाल, दिनांक 3.11.98

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश .

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.7.98 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

====

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर. 17/06/98/ब-9, 22 मई 98 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर, प्रतिमाह
दिनांक 1.7.98 से	22 प्रतिशत

2. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि -

इस आदेश के अन्तर्गत दिनांक 1.7.98 से 31.10.98 तक बढ़े हुये महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की जावेगी एवं माह नवम्बर 98 से महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे के कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

4. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।

5. महंगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।

6

6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के अन्तर्गत विद्यमान वेतन बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी । इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त महंगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्ति वेतन (यदि कोई हो, तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ आर. 17/03/96/चार/ब-9/, दिनांक 23. 4. 96, अनुसार स्वीकृत किया गया है) एवं अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किस्त (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ बी. 8/1/93/तीन-2/चार, दिनांक 20. 10. 95 एवं आर 17/3/95/बत्तर/ब-9, दिनांक 11. 8. 95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है ।

7. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 1264/1613/तीन-2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रकाशित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।

8. ये आदेश यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई, वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे किन्तु कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे ।

9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय, संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

5.11.96

(अवध बिहारी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एफ. आर. 17/06/38/ब-9/चार   भोपाल, दिनांक 3.11.93

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।

---

6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग §स्थापना शाखा§ भोपाल ।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन §अधीक्षण शाखा§ भोपाल ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।

---

9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/13, शिवाजी नगर, भोपाल ।
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/16, तुलसी नगर, भोपाल ।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय 12/5, साउथ टी०टी०नगर, भोपाल ।
12. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ वल्लभ भवन भोपाल ।
13. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय 6/45, बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल ।
14. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल ।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल ।
16. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85, [illegible] नगर, भोपाल ।

---

17. महालेखाकार §लेखा और हकदारी§/§आडिट§-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।

---

18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, मध्यप्रदेश ।
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

§के. एन. पन्त§
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ.आर.17/01/99/बार, ब-9 भोपाल, दिनांक 27-3-1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान-1998 में दिनांक 1-1-99 से मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

==0==

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-आर-17/06/98/ब-9/बार, दिनांक 3-11-98 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-1-99 से	32 प्रतिशत

2/ राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

इस आदेश के अन्तर्गत दिनांक 1-1-99 से 31-8-99 तक बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की जावेगी एवं माह सितम्बर, 99 से मंहगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।

3/ मंहगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

निरन्तर..2

4/ महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के रूप में नहीं गिना जावेगा ।

5/ महंगाई भत्ते की गणना के लिये "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान-1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।

6/ मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के अन्तर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी । इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त महंगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. आर. 17/03/96/चार/ब-9/दिनांक 23-4-96 अनुसार स्वीकृत किया गया है) एवं अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. बी. 8/1/93/नि-2/चार, दिनांक 20-10-93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9/, दिनांक-11-8-95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है ।

7/ पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।

8/ ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे किन्तु कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे ।

9/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

27-8-98

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

....3

10

//3//

पृ.क्रमांक एफ.आर. 17/01/99/ब-9/99, भोपाल, दिनांक 27-8-99

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश, सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग {स्थापना शाखा} भोपाल ।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग {अधीक्षण शाखा} भोपाल ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ-भवन, मंत्रालय, भोपाल ।
9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजीनगर, भोपाल ।
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/16, तुलसीनगर, भोपाल ।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय 12/5, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल ।
12. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ, वल्लभ-भवन, भोपाल ।
13. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय-6/45 बंगले, नार्थ टी.टी.नगर, भोपाल ।
14. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय-48/26, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल ।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय-98/48, तुलसीनगर, भोपाल,
16. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85, तुलसीनगर, भोपाल ।
17. महालेखाकार {लेखा और हकदारी}/{आडिट}-1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, म.प्र.
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

{के. एन. पन्त}
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग.

क्रमशः/

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.आर.17/01/2000/ब-9/चार भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2000

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.7.99 एवं 1.1.2000 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17/01/99/ब-9/चार दिनांक 22 अगस्त, 99 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.7.99 से	37 प्रतिशत
दिनांक 1.1.2000 से	38 प्रतिशत

2. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि-

इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1-7-99 से 31.12.2000 तक बढ़े हुये महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में, एरियर के कारण देय अतिरिक्त आयकर की कटौती स्त्रोत पर करते हुए, जमा की जावेगी एवं माह अगस्त, 2000 (भुगतान माह सितम्बर, 2000) से महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

4. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रुप में नहीं माना जावेगा।

5. महंगाई भत्ते की गणना के लिऐ 'वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।

6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त महंगाई भत्ते की गणना हेतु 'वेतन' के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो, तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर. 17-03/96/चार/ब-9, दिनांक 23.4.96, अनुसार स्वीकृत किया गया है) एवं अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किस्त (जोकि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. 8/1/93/नि-2/चार दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।

7. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

8. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवा के सदस्यों पर लागू होंगें।

12

9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के ... व्यय, संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
तथा आदेशानुसार
(सुधीर नाथ)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ.आर.17/01/2000/ब-9/चार
प्रतिलिपि : -

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2000

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल ।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल ।
8. मुख्य लेखा अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
9. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल
10. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय-85/61, तुलसी नगर, भोपाल।
11. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय-12/5, साउथ टी.टी नगर, भोपाल ।
12. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45, बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल ।
13. महामंत्री, म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ।
14. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, विन्ध्याचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट, भोपाल ।
15. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल ।
16. अध्यक्ष, म.प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल ।
17. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. वन कर्मचारी संघ, एच-11, फोरस्ट कालोनी, कोलार रोड भोपाल
18. प्रांतीय महामंत्री, म.प्र. अजाक्स संघ, कार्यालय 83/55 तुलसी नगर, भोपाल
19. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. स्वास्थ्यकर्मचारी संघ एम 191/4 राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशि0 केन्द्र प्रांगण इतवारा भोपाल
20. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन कार्या. 181 जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल
21. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ कार्यालय 87अ/51 तुलसी नगर भोपाल
22. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. राजस्व निरीक्षक संघ वसंत कोठी नेहरू कालोनी थटीपुर ग्वालियर
23. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय महावीरपुरा मुरैना
24. प्रांताध्यक्ष, म.प्र. पटवारी संघ मु.पो. टिमरनी, तह. कार्या. टिमरनी, जिला हरदा, म0प्र0
25. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
26. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
27. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
28. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

(के.एन. पंत)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

शाकेमुभो—डी-70—अवसिवि—28-7-2000—1500.

13

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2002

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषयः- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.2.2002 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17/01/2000/ब-9/चार दिनांक 27 जुलाई, 2000 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावेः-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.2.2002 से	42 प्रतिशत

2. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1.2.2002 से (1.3.2002 को देय वेतन) महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

4. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रुप में नहीं माना जावेगा।

5. महंगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।

6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी। इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त महंगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो, तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर.17-03/96/चार/ब-9 दिनांक 23.4.96 अनुसार स्वीकृत किया गया है) एवं अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी..8/1/93/नि-2/चार दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।

7. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

8. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यो पर लागू होंगे।

9. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(एम. के. राय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

14

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी,

पृ. क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार

प्रतिलिपिः-

1 राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2 रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
3 सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
4 सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
5 सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
6 अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल
7 अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (अधिक्षण शाखा) भोपाल
8 मुख्यलेखा अधिकारी वल्लभ भवन भोपाल
9 प्रांताध्यक्ष म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर भोपाल
10 प्रांताध्यक्ष म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय, 85/61, तुलसी नगर भोपाल
11 प्रांताध्यक्ष, म.प्र.लघु वेतन कर्मचारी संघ कार्यालय 12/5, साऊथ टी.टी.नगर भोपाल
12 प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस कार्यालय 6/45 बंगले, नार्थ टी.टी.नगर भोपाल
13 महामंत्री म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय 48/26 साऊथ टीटी नगर भोपाल
14 प्रांताध्यक्ष म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय विन्धाचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट भोपाल
15 प्रांताध्यक्ष म.प्र. अनुसूचित जाति,जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ 83/85 तुलसी नगर भोपाल
16 अध्यक्ष सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन भोपाल
17 प्रांताध्यक्ष म.प्र. वन कर्मचारी संघ, एच-11 फोरेस्ट कालोनी कोलार रोड भोपाल
18 प्रांतीय महामंत्री म.प्र. अजाक्स संघ, कार्यालय 83/55 तुलसी नगर भोपाल
19 प्रांताध्यक्ष म.प्र. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एम. 191/4 राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र प्रांगण इतवारा भोपाल
20 प्रांताध्यक्ष म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन कार्यालय 181 जोन-1 एम.पी.नगर भोपाल
21 प्रांताध्यक्ष शासकीय वाहन चालक यंत्रिकी कर्मचारी संघ कार्यालय 87अ/51 तुलसी नगर भोपाल
22 प्रांताध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ बसंत कोठी नेहरु कालोनी, थाटीपुर ग्वालियर
23 प्रांताध्यक्ष म.प्र. लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय महावीर पुरा मुरैना
24 प्रांताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ मु.पो. टिमरनी, तह. कार्यालय टिमरनी, जिला हरदा म.प्र.
25 महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
26 सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन , मध्यप्रदेश
27 सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28 सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

11/01/02

(व्ही. के. राय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—1888—असविवि—11-1-2002—1200.

15

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार **भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2002**

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषयः- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार दिनांक 11 जनवरी 2002 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.7.2000 से	मूल वेतन का 41 प्रतिशत
दिनांक 1.1.2001 से	मूल वेतन का 43 प्रतिशत
दिनांक 1.7.2001 से	मूल वेतन का 45 प्रतिशत

2. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

(अ) इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1.7.2000 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि को फरवरी 2002 से (माह फरवरी का वेतन जो 1.3.2002 को देय होगा) नगद भुगतान किया जाएगा।

(ब) दिनांक 1.1.2001 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि को 1 अप्रैल 2003 से (माह माह अप्रैल 2003 का वेतन माह मई, 2003 में देय होगा) से नगद भुगतान किया जाएगा।

(स) दिनांक 1.7.2001 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि को अप्रैल, 2004 से (माह अप्रैल, 2004 का वेतन जो मई 2004 में देय होगा) से नगद भुगतान किया जाएगा।

(द) स्वीकृत दिनांक से नगद भुगतान के दिनांक तक की उपरोक्त एरियर्स की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों मे दिनांक 1.4.2004 को एक मुश्त रूप से जमा की जाएगी तथा जो कर्मचारी इस तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त होंगे उनके एरियर्स की राशि सेवानिवृत्ति के समय नगद भुगतान की जाएगी, अर्थात उपरोक्त तीनों किश्तों के नगद दिये जाने के दिनांक के पूर्व की एरियर्स की राशि संबंधित के सामान्य भविष्य निधि खाते में दिनांक 1.4.2004 को एक मुश्त जमा किया जाएगा।

2. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

3. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रुप में नहीं माना जावेगा।

4. मंहगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।

5. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की पात्रता उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" क प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो, तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर.17-03/96/चार/ब-9 दिनांक 23.4.96 अनुसार स्वीकृत किया गया है) एव अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमाक एफ.बी..8/1/93/नि-2/चार दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।

6. पुनरीक्षित वेतनमानों में मंहगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

7. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यो पर लागू होंगे।

8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(एम. के. राय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

16

पृ. क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 200

प्रतिलिपिः-

1 राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2 रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
3 सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
4 सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
5 सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
6 अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल
7 अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (अधिक्षण शाखा) भोपाल
8 मुख्यलेखा अधिकारी वल्लभ भवन भोपाल
9 प्रांताध्यक्ष म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर भोपाल
10 प्रांताध्यक्ष म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय, 85/61, तुलसी नगर भोपाल
11 प्रांताध्यक्ष, म.प्र.लघु वेतन कर्मचारी संघ कार्यालय 12/5, साऊथ टी.टी नगर भोपाल
12 प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस कार्यालय 6/45 बंगले, नार्थ टी.टी.नगर भोपाल
13 महामंत्री म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय 48/26 साऊथ टीटी नगर भोपाल
14 प्रांताध्यक्ष म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय विन्धाचल भवन के पीछे, बेसमेंट भोपाल
15 प्रांताध्यक्ष म.प्र. अनुसूचित जाति,जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ 83/85 तुलसी नगर भोपाल
16 अध्यक्ष सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन भोपाल
17 प्रांताध्यक्ष म.प्र. वन कर्मचारी संघ, एच-11 फोरेस्ट कालोनी कोलार रोड भोपाल
18 प्रांतीय महामंत्री म.प्र. अजाक्स संघ, कार्यालय 83/55 तुलसी नगर भोपाल
19 प्रांताध्यक्ष म.प्र. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एम. 191/4 राज्य [illegible] प्रशिक्षण केन्द्र प्रांगण इतवारा भोपाल
20 प्रांताध्यक्ष म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन कार्यालय 181 जोन-1 [illegible].नगर भोपाल
21 [illegible]ध्यक्ष शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ कार्यालय [illegible] तुलसी नगर भोपाल
22 [illegible]ध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ बसंत कोठी नेहरु कालोनी, [illegible] ग्वालियर
23 प्रांताध्यक्ष म.प्र. लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय, [illegible] पुरा मुरैना
24 प्रांताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ मु.पो. टिमरनी, तह. कार्यालय टिमरनी, [illegible] म.प्र.
25 महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(ऑडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
26 सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
27 सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28 सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

26/02/02

(वी. के. राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

17

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-9/ 2 /2004/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2004

प्रति

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त जिलाध्यक्ष

मध्यप्रदेश

विषयः- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

----0----

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार दिनांक 26 फरवरी, 2002 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय है। राज्य शासन ने निम्नानुसार मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त दो किश्तें स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.3.2004 से	मूल वेतन का 4 प्रतिशत (नगद भुगतान)
दिनांक 1.3.2004 से	मूल वेतन का 3 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि में जमा)

2. उपर्युक्तानुसार मंहगाई भत्ते की दो किश्तें स्वीकृत किये जाने के दिनांक 1.3.2004 से मंहगाई भत्ते की दर कर्मचारियों के मूल वेतन की 52 प्रतिशत हो जावेगी।

3. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

(अ) इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1.3.2004 से बढे हुए महंगाई भत्ते की राशि में से 4 प्रतिशत राशि को मिलाकर कुल 49 प्रतिशत राशि का मार्च, 2004 से (अर्थात माह मार्च का वेतन जो 1.4.2004 को देय होगा) नगद भुगतान किया जाएगा एवं शेष 3 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की जायगी।

(ब) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17/03/2000/ब-9/चार दिनांक 26 फरवरी, 2002 के अंतर्गत दिनांक 1.7.2000 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिये देय मंहगाई भत्ते के एरियर्स की राशि भी संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में दिनांक 1.4.2004 को जमा की जायगी।

4. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अग... में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

5. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रुप में नहीं माना जावेगा।

6. मंहगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमांन 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतम से हैं।

7. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम,1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की पात्रता उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" क प्रयोजन रेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो, तो), औसत मू॰ सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.आर.17-03/96/चार/ब-9 दिनांक 23.4.96 अनुसार स्वीकृत किया गया हैं) एव अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमाक एफ.बी..8/1/93/नि-2/चार दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।

8. पुनरीक्षित वेतनमानों में मंहगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

9. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यो पर लागू होंगे।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

अजीत

(ए.पी. श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

/ 2 /2004/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2004

19

राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।

रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।

3 सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।

4 सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।

5 सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।

6 अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल

7 अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (अधिक्षण शाखा) भोपाल

8 मुख्यलेखा अधिकारी वल्लभ भवन भोपाल

9 प्रांताध्यक्ष म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर भोपाल

10 प्रांताध्यक्ष म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय, 85/61, तुलसी नगर भोपाल

11 प्रांताध्यक्ष, म.प्र.लघु वेतन कर्मचारी संघ कार्यालय 12/5, साऊथ टी.टी.नगर भोपाल

12 प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कांग्रेस कार्यालय 6/45 बंगले, नार्थ टी.टी.नगर भोपाल

13 महामंत्री म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय 48/26 साऊथ टीटी नगर भोपाल

14 प्रांताध्यक्ष म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस कार्याल विन्धाचल भवन के पीछे, बेसमेन्ट भोपाल

15 प्रांताध्यक्ष म.प्र. अनुसूचित जाति,जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ 83/85 तुलसी नगर भोपाल

16 अध्यक्ष सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन भोपाल

17 प्रांताध्यक्ष म.प्र. वन कर्मचारी संघ, एच-11 फोरेस्ट कालोनी कोलार रोड़ भोपाल

18 प्रांतीय महामंत्री म.प्र. अजाक्स संघ, कार्यालय 83/55 तुलसी नगर भोपाल

19 प्रांताध्यक्ष म.प्र. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एम. 191/4 राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र प्रांगण इतवारा भोपाल

20 प्रांताध्यक्ष म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन कार्यालय 181 जोन-1 एम.पी.नगर भोपाल

21 प्रांताध्यक्ष शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ कार्यालय 87अ/51 तुलसी नगर भोपाल

22 प्रांताध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ बसंत कोठी नेहरु कालोनी, थाटीपुर ग्वालियर

23 प्रांताध्यक्ष म.प्र. लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ कार्यालय, महावीर पुरा मुरैना

24 प्रांताध्यक्ष म.प्र. पटवारी संघ मु.पो. टिमरनी, तह. कार्यालय टिमरनी, जिला हरदा म.प्र.

25 महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।

26 सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन , मध्यप्रदेश

27 सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।

28 सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—1784—असविवि—26-2-04—1000.

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2005

क्रमांक एफ 4-1/2005/नियम/चार

प्रति,
शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।-

विषय - राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर 9-2/2004/नियम/चार, दिनांक 23 फरवरी, 2004 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-4-2005 (माह अप्रैल 2005 का वेतन जो मई 2005 को देय होगा)	मूल वेतन का 55 %

2. इस ज्ञापन के फलस्वरूप बढे हुए मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जावेगा ।

3. वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 23 फरवरी 2004 के अनुसार मूल वेतन के 3% मंहगाई भत्ते की राशि संबधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में पूर्वानुसार जमा की जाना निरंतर रहेगी ।

4. मंहगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे के कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

5. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।

6. मंहगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।

7. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की पात्रता उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औसत मूल सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17-03/96/चार/ब-9 दिनांक 23.4.96 अनुसार स्वीकृत किया गया है), एवं अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.8/1/93/नि-2/चार, दिनांक 20.10.93 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है

8. पुनरीक्षित वेतनमानों में मंहगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई 1957 एवं इस संबंध में समय -समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।

9. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों मे वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यो पर लागू होगें ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव

21

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 4-1/2005/नियम/चार भोपाल दिनांक मार्च 2005 .
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
24. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शाकेमुभो—2008—असविवि—23-3-2005—1,000.

मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-9-7/2005/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषयः- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें।

राज्य ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.4-1/2005/नियम/चार, दिनांक 23 मार्च, 2005 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-11-2005 (माह नवंबर 2005 का वेतन जो दिसंबर, 2005 को देय हेगा)	मूल वेतन का 59 %

2. इस ज्ञापन के फलस्वरूप बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जावेगा ।
3. मंहगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे के कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
4. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा।
5. मंहगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।
6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की पात्रता उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औरत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर.17-03/96/चार/ब-9 दिनांक 23.4.96 अनुसार स्वीकृत किया गया है), एवं अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.8/1/93/नि-2/चार, दिनांक 20.10.93 एवं आर. 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11.8.95 के अनुसार स्वीकृत किये गये है) को शामिल किया जाना है।
7. पुनरीक्षित वेतनमानों में मंहगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।
8. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाँने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव

23

पृष्ठां.क्रमांकः एफ-9-7/05/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 14/10/2005

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष- 84, मंत्रालय,भोपाल ।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
25. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शाकेमुभो—1008—असविविभो—17-10-05—4,000.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रेल 2006

क्रमांक : एफ 9-4/2006/नियम/चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

--***--

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 9-7/2005/नियम/चार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-4-2006(माह अप्रेल 2006 का वेतन जो मई 2006 को देय होगा)	मूल वेतन का 65 %

2. इस ज्ञापन के फलस्वरूप बढे हुए मंहगाई भत्ते की राशि का नकद भुगतान किया जावेगा ।
3. मंहगाई भत्ते के कारण दिए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड दिया जावेगा ।
4. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।
5. मंहगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।
6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की पात्रता उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त मंहगाई मंहगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतन में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर. 17-03/96/चार/ब-9, दिनांक 23-4-96 अनुसार स्वीकृत किया गया है), एवं अंतरिम राहत को प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.वी. 8/1/93/नि-2/चार, दिनांक 20-10-93 एवं आर.17/3/95/चार/ब-9, दिनांक 11.8-95 के अनुसार स्वीकृत की गई है) को शामिल किया जाना है ।
7. पुनरीक्षित वेतनमानों में मंहगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।
8. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवा के सदस्यों पर लागू होगे ।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
अपील 4.4.06
(ए.पी.श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांकः एफ 9-4/2006/नियम/चार भोपाल दिनांक 4 अप्रेल, 2006

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्टार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त, जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी) मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष 84 मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उपकोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
25. गार्ड फाइल

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

Jaiswar 4/4/06

(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शाकेमुभो--13--असवितिभो- 5 4 06 1000.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9- 7 /2006/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

--***--

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 9-4/2006/नियम/चार, दिनांक 4 अप्रैल, 2006 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावे :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-9-2006 (माह सितम्बर 2006 का वेतन जो अक्टूबर, 2006 को देय होगा)	मूल वेतन का 70%

2. इस ज्ञापन के फलस्वरूप बढे हुए मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जावेगा ।
3. मंहगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो, तो उन्हे अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड दिया जावेगा ।
4. मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।
5. मंहगाई भत्ते की गणना के लिए "वेतन" से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।
6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतन में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की पात्रता उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की गणना हेतु "वेतन" के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतन में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय मंहगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर. 17-03/96/चार/ब-9, दिनांक 23-4-96 अनुसार स्वीकृत किया गया है), एवं अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जो कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 8/1/93/नि-2/चार, दिनांक 20-10-93 एवं आर.17/3/95/चार/ब-9, दिनांक 11-8-95 के अनुसार स्वीकृत की गई है) को शामिल किया जाना है ।
7. पुनरीक्षित वेतनमानों में मंहगाई भत्ते का नियमितीकरण वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।
8. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे ।
9. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग